राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.2(8)डीओपी/ए-II/88 **जयपुर, दिनांक:** 9.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 17.02.1995 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) **नियम, 1967,** जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"(घ) निरसित उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी. चम्बल विभाग कोटा (इसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेद सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और 1964 के उपरोक्त नियमों के अधीन जारी किये गये स्थायी आदेशों के अधीन भर्ती किये गये तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ (जन स्वास्थ्य शाखा) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख को विभाग में कार्यरत समस्त व्यक्ति।"

3. **नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (2) के विद्‌यमान परन्तुक (9)** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(9) **कार्य-प्रभारित कर्मचारी जो,** निरसित उद्‌यान, सिंचाई, भूमि विकास (कार्यक्रम) वृत्त, सी.ए.डी. चम्बल विभाग कोटा (इसके खण्डों/उप-खण्डों सहित), जलदाय, आयुर्वेद सहित राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) और वन विभाग (विभागीय कार्य-वृत्त को छोड़कर) कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम, 1964 और 1964 के उपरोक्त नियमों के अधीन जारी स्थायी आदेशों के अधीन **भर्ती किये गये थे** तथा जिन्हें चयन **ग्रेड/एसीपी या तो शोध्य है या प्राप्त कर रहे हैं और जो प्रारंभिक भर्ती पद पर कार्यरत हैं तथा अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत नहीं किये गये हैं, को अनुसूची-II में यथोल्लिखित पुनर्पदाभिहित किया जायेगा। ऐसे पुनर्पदाभिहित कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को अनुसूची-II में के उपबंधों के अनुसार पद (पदों) पर उन्नत/पदोन्नत किया जायेगा।"**

4. **अनुसूची-II का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्‌यमान **अनुसूची-II** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित **किया जायेगा, अर्थात्:-**

"अनुसूची-II

क्र.सं.	कार्य-प्रभारित कर्मचारी सेवा नियम,1964 के अधीन प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम	पुनर्पदाभिहित पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम	अर्द्ध स्थायी होने की तारीख से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर पद का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	1. बेलदार 2. चौकीदार 3. माली	संकर्म सहायक	वरिष्ठ संकर्म सहायक	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)
2.	4. हैल्पर	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)
3.	5. मेसन 6. लाइनमैन 7. मोल्डर-II 8. मीटर रीडर-I, मीटर चैकर-I 9. सहायक ड्रिलर बेधन 10. आर्टिजन-II	तकनीशियन-III (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)
4.	11.मिस्त्री सिविल संकर्म ग्रेड-III 12. बढ़ई 13. लुहार-II	तकनीशियन-II (संबंधित ट्रेड)	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)

	14. मैकेनिक-II 15.फिटर-II 16. रंगसाज (पेंटर)-II 17. प्लम्बर-II 18. खरादी (टर्नर)-II 19. इलैक्ट्रिशियन-II 20. पंप और मशीन ऑपरेटर (पंप ऑपरेटर-II) 21. वेल्डर-II 22. वायरमैन-II 23. मोटर यान चालक				
5.	24. भंडार मुंशी	भंडार मुंशी	भंडार मुंशी-I	वरिष्ठ भंडार मुंशी	प्रधान भंडार मुंशी
6.	25. मोल्डर-I 26. मीटर रिपेयरर टेस्टर-II	तकनीशियन-I (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)
7.	27. मैकेनिक-I 28. इलैक्ट्रिशियन-I 29. वायरमैन-I 30. वेल्डर-I 31. खरादी (टर्नर)-I 32. दरिष्ठ बढ़ई 33. लुहार-I 34. प्लमबर-I	प्रधान तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	वरिष्ठ मुख्य तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)	विशेषज्ञ तकनीशियन (संबंधित ट्रेड)

	35. रंगसाज (पेंटर)-I 36. मिस्त्री ग्रेड-II				

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

6/2024